न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 170/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/261

प्रार्थी :–
जितेन्द्रसिंह पुत्र दयाराम जाति जाट
निवासी ग्राम माडपुरीया तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधुपर।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. घीसाराम पुत्र रामदीन
2. ओमप्रकाश पुत्र केसाराम
3. गुटकी पत्नि केसाराम
4. गेन्दु पुत्री रामचन्द्र
5. गीता पुत्री रामचन्द्र
6. तीजा पुत्री केसाराम
7. बक्साराम पुत्र रामचन्द्र
8. बुधाराम पुत्र केसाराम
9. भंवरीदेवी पत्नि रामचन्द्र
10. मंजु पुत्री रामचन्द्र
11. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र
12. रेखाराम टाक पुत्र केसाराम
13. रामेश्वरलाल पुत्र रामचन्द्र
14. लीला पुत्री केसाराम
15. सुनिल पुत्र केसाराम
16. सीताराम पुत्र घेंवरराम
17. सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र
18. कमलेश पुत्र घीसाराम
19. दिनेश पुत्र घीसाराम
20. श्यामलाल पुत्र घीसाराम
21. सुमेर सांखला पुत्र घीसाराम
    जातियान माली निवासीगण ग्राम
    खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर
    जिला जोधपुर।
22. गीता पुत्री लुम्बाराम
23. घीसु पुत्री लुम्बाराम
24. चिमनाराम पुत्र हरीराम
25. चौथाराम पुत्र हरीराम
26. भीकी पुत्री लुम्बाराम
27. मोनिका पत्नी पोकरराम
28. राजेन्द्र पुत्र पोकरराम
29. रामभजीया पुत्री लुम्बाराम
30. रामलाल पुत्र लुम्बाराम
31. सीतादेवी पत्नि पोकरराम
    जातियान जाट निवासीगण ग्राम
    खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर
    जिला जोधपुर।
32. राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमाराम जाति
    जाट निवासी खांगटा तहसील
    पीपाड़ शहर।
33. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा
    ग्रामीण बैंक शाखा खवासपुरा
    तहसील पीपाड़ शहर।
34. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर
    जिला जोधपुर।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

दर्ज दिनांक :– 08.09.2023

उपस्थित अधिवक्ता
श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थी की ओर से
श्री पृथ्वीराज चौहान अप्रार्थी सं. 1, 3 से 17, 21, 23 से 28 व 30, 31 की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार स्वयं

निर्णय

दिनांक : 21.05.2024

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम माडपुरिया तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी के पिता के नाम से कृषि भूमि खसरा नम्बर 174 क्षेत्रफल 1.2378 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में नया खाता संख्या 56 व पूराना 47 पर इन्द्राजशुदा है। प्रार्थी के पिता दयाराम का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए खसरा नबंर 174 की भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारीशुदा कब्जाशुदा भूमि खसरा नबंर 174 में आनें जाने हेतु प्रथागत कदमी रास्ता अप्रार्थी संख्या एक के खेत खसरा नबंर 175 के दक्षिण माठ के सहारें सहारे चलता हुआ, आगे अप्रार्थी संख्या दों से सत्तराह के खेत खसरा नबंर 179 व 178 में प्रवेश करता हुआ आगे खसरा नबंर 169 गैर मुमकिन बाला की भूमि में चलता हुआ आगे अप्रार्थी संख्या अठारह से ईक्कीस के खेत खसरा नबंर 164/2 में प्रवेश करता हुआ अप्रार्थी संख्या बाईस से बत्तीस के खेत खसरा नबंर 165 की उत्तरी गाठ के सहारें सहारें चलता हुआ आगे खवासपुरा से पालडीसिद्वा जानें वाली डामर सड़क पर मिलता है। उक्त रास्ता चौडाई करीब 30 फिट है। उक्त कदमी रास्ता आगे प्रार्थी के खेत खसरा नबरं 174 में आने जाने का पीढ़ीयों से कदमी रास्ता विद्यमान रहा है। उक्त कदमी रास्ता कों आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य मार्क ए, बी, सी, डी के मध्य दर्शाया गया है जिस संलग्न नजरी नक्शें को प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग माना जावें। प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 174 में आने जाने वाला कदमी रास्ता कटाणी रास्ता से शुरू होकर खसरा नबंर 165 की उत्तरी माठ के सहारें सहारें चलता हुआ आगे खसरा नबरं 164/2,169, 178,179,175 में 30 फिट की चौडाई में चलता है। उक्त कदमी रास्ता वर्षो से विद्यमान है जिससे होकर ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने खेतों में आतें जाते रहे है।वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थी पीढीयों से आवागमन हेतु एंव टेक्ट्रर ट्रॉली, बैल छकड़ा, मवेशी वगैराह लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करता आया है। उक्त वादग्रस्त कदमी रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता को अवरोधित करने की नियत से कांटे वगैराह डाल दिये व रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

की भूमि में काश्त करनी शुरू कर दी जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वादग्रस्त रास्ता पर कांटे डालकर वादग्रस्त रास्ता में अवरोध क्यो खडे कर रहे हो जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐलानियाँ कहा कि वादग्रस्त रास्ता हमारी खातेदारी जमीन में स्थित है इसलिए कांटे वगैराह डालकर व काश्त कार्य करके वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रहेगें जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है क्योकि वादग्रस्त रास्ता पीढीयों से विद्यमान रहा है एंव प्रार्थी के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता है। खेत खसरा नबंर 174 प्रार्थी की कब्जासुदा खातेदारी भूमि है। खेत खसरा नबंर 174 पर आने जाने का पीढीयों से परम्परागत कदमी रास्ता खेत खसरा नबरं 165,164/2,169, 178,179,175 में स्थित वादग्रस्त रास्ता ही है जिसकी चौडाई करीब 30 फिट है। उक्त वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थी पीढ़ीयों से आवागमन हेतु व आने जाने हेतु उपयोग व उपभोग में लेता आया है इसलिए उक्त वादग्रस्त रास्तें को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक मे है क्योकि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु एकमात्र कदमी रास्ता पीढ़ीयों से विद्यमान रहा है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है अगर अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकेगा एंव प्रार्थी अपने जायज खातेदारी अधिकारो का उपयोग नही कर सकेगा। प्रार्थी नियमानुसार लाल स्याही के मध्य दर्शाये वादग्रस्त रास्ता जो मार्क ए, बी, सी, डी के मध्य दर्शाया गया है। उक्त वादग्रस्त रास्ता खसरा नबरं 165, 164/2,169, 178,179,175 की भूमि में स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थी अदा करने हेतु तैयार है इसलिए वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व नक्शें मे तरमीम किया जावें।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम माडपुरिया तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 174 क्षेत्रफल 1.2378 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबरं 165, 164/2,169, 178,179,175 में स्थित है जिसे रास्ता घोषित फरमाया जावे व नक्शें में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थी के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष मे अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये । अप्रार्थीगण सं. 1, 3 से 17, 21, 23 से 28 व 30, 31 की ओर से वकील

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 174 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगणो के खेत खसरा नम्बर 165, 164/2, 169, 178, 179, 175, में रास्ता होना बताया है जो सरासर बेबुनियाद हैं। वास्तविकता यह हैं कि प्रार्थी के पिता की सहखातेदारीसुदा भूमियां उक्त खसरानम्बर 174 के चिपते ही 173, 187/4, 187/2, 190/4, 190/7 आयी हुई हैं जो भूमियां खसरा नम्बर 187 व 190 गै.मु. मगरे की भूमियां के चिपते ही स्थित हैं तथा खसरानम्बर 187 व 190 सरकारी जमीन है जो खुली है उक्त भूमि कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 201 पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 174 व 173, 187/4, 187/2, 190/4, 190/7 में सरकारी भूमि में से होकर कटाणी रास्ते पर आता जाता रहा हैं। वादग्रस्त रास्ता कभी भी मौके पर विद्यमान नही रहा हैं। प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थीगण की भूमि हड़पने व नया रास्ता निकालने की मंशा से प्रस्तुत किया हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार कर मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाने का निवेदन किया हैं।

इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता ए,बी,सी,डी,ई,एफ से एन तक अंकित हैं उक्त रास्ता खसरा नम्बर 175 के किनारे से गुजरता हैं जबकि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 179 व 178 व 164/2 को दो भागो में विभाजित कर लगभग तीनों खसरो के बीच में से गुजर रहा हैं एवं खसरा नम्बर 169 किस्म गे.मु. बाला है तो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है से गुजर रहा हैं। खसरा नम्बर 165 मौके पर डामर सड़क चालू हालात में हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हैं। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते के काम आने वाली भूमि का विवरण इस प्रकार से हैं :–

क्र. सं.	खसरा नम्बर जिसमें से रास्ता चाहा गया हैं	संकेत	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा हैक्टयर	डीएलसी दर अनुसार भूमि की कीमत	डीएलसी दर की दुगुनी राशि
1	175	ABCD	130 मी. X 8 मी. = 0.1040 हैक्टयर	0.1041X140679 = 14630	29260
2	179	CDEF	50 मी. X 8 मी. = 0.0400 हैक्टयर	0.0400X140679 = 5627	11254
3	178	EFGH	64 मी. X 8 मी. = 0.0152 हैक्टयर	0.0152X140679 = 2138	4276
4	169	GHIJ	12 मी. X 8 मी. = 0.0096 हैक्टयर	0.0096X140679 = 1350	2300
5	164/2	IJKL	60 मी. X 8 मी. = 0.0480 हैक्टयर	0.0480X140679 = 6753	13506
6	165	KLMN	30 मी. X 8 मी. = 0.0240 हैक्टयर	0.0240X140679 = 3376	6752
				TOTAL	67748/- रूपयें

हमने बहस पक्षकारान सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया हैं कि खसरा नम्बर 174 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरानम्बर 165, 164/2, 169, 178, 179, 175 में से मौका कमिश्नर रिपोर्ट व नजरी नक्शे में दर्शाये लाल स्याही से बिन्दु सं. ए से एन तक

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

दिये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने भी अपनी मौका कमिश्नर रिपोर्ट में उक्त रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब अप्रार्थी व तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन अवलोकन किया बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी स्वयं किसी भूखण्ड का खातेदार काश्तकार नही हैं चूंकि प्रार्थी के पिता खसरा नम्बर 174 के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी ने पिता के खसरा नम्बर 174 में आने जाने हेतु अन्तर्गत धारा 251 A में रास्ता चाहा है। रेकर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पिता दयाराम पुत्र हरीराम जो खसरा नम्बर 187/4, 187/2, 190/4, 173 आदि में सहखातेदार के रूप मं दर्ज हैं। चूंकि खसरा नम्बर 187/2, 190/4 दोनो खसरे रेकर्डेड रास्ते से जुड़े हुए है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रथम शर्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु को साबित नही कर पाया अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(दूदाराम)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2014 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(दूदाराम)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर